बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

टण्डन मार्केट, 8–लालबाग, लखनऊ–226001

समस्त सम्बन्धित,
बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन,चिकित्सा अनुभग –6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –597 /पांच–6–2010–डब्लू–4/09 दिनांक 26–04–2010 द्वारा बोर्ड का प्रत्यावेदन दिनांक 20–03–2004 महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10–03–2010 के आधार पर निस्तारित कर दिया गया था।

श्री एम.ए.सिद्दीकी एडवोकेट हाईकोर्ट ने उपने पत्र दिनांक 02–05–2010 द्वारा विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उत्तर प्रदेश से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया था,महानिदेशक ने विचारोपरान्त शासन को दिनांक 14–09–2010 को पत्र लिखकर अपने पत्र दिनांक 10–03–2010 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए समुचित निर्देश देने का अनुरोध किया है,जो निम्न प्रकार है––

प्रेषकः–
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग–6

संख्या 11फ/ लखनऊ दिनांक 14–9–2010

विषयः–उ0प्र0डेवलेपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन,के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के पत्र दिनांक 26 मई,2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–597 /पांच–6–2010–डब्लू–4/09 दिनांक 26–04–2010 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पंजीकरण को
औचित्यपूर्ण न पाते हुये श्री इदरीसी,चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया गया है। जिस पर उन्होने दिनांक 26–05–2010 को पुनः पुनर्विचार के लिए प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया है। इसकी एक प्रति निदेशक (चिकित्सा उपचार)स्वास्थ्य भवन,लखनऊ को पृष्ठांकित की है।

उपांकित संदर्भित प्रकरण में शासन को भेजे गये पत्रांक 11 फ/522 दिनांक 10–3–2010 के क्रम में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 25–11–2003 का उल्लेख किया गया था तथा उक्त को संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा दिनांक 26–04–2010को आदेश निर्गत किये गये है तत्पश्चात इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने पूर्व पत्र दिनांक 25–11–2003 की पुनः व्याख्या करते हुए दिनांक 5 मई,2010 को आदेश जारी किये है। (प्रतिलिपि संलग्न) जो निम्न प्रकार है–

However the order No.R 14015/25/96-U & H (R)(Pt) dated 25th November 2003 dose not bar the Development & Research of Electropathy.

In accordance with orders of the High Court & Supreme Court quoted here,there is no proposal to stop the petitioners from practicing in electropathy or imparting education as long as this is done within the provision of the order No.R 14015/25/96-U & H (R)(Pt) dated 25th November 2003.Once the legislation to recognize new system of medicine is enacted,any practice or education would be regulated in accordance with the said Act.The representation of the petitioner dated 28.10.2009 is disposed off accordingly.

श्री एम.ए.सिद्दीकी एडवोकेट,लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 2 मई 2010 द्वारा रिट पिटीशन संख्या 575(एम0एस0)1994 डेवलेपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम रजिस्ट्रार सोसाइटीज फर्म्स आदि में पारित आदेश दिनांक 28–02–1994 (प्रतिलिपि संलग्न) की प्रति उपलब्ध करायी है जिसमें न्दजपस नितजीमत वतकमते जीम तमेचवदकमदजे ैंसस दवज पदजमतमितम ूपजी जीम निदबजपवदपदह वि जीम चमजपजपवदमतेण्आदेश दिये गये है।

कृपया भारत सरकार के पत्र दिनांक 05–05–2010 और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 28–02–1994 के आलोक में समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

संख्या 11 फ/2480–81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य चिकित्साधिकारी,वाराणसी/लखनऊ।

2– श्री एम0ए0सिद्दीकी एडवोकेट ,36 जगत नारायण रोड,गोलागंज क्रांसिग लखनऊ।

निदेशक (चिकित्सा उपचार)